

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

शशि भूषण तिवारी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

समाहर्ता,
बेगूसराय, पटना, कटिहार, रोहतास, सुपौल बक्सर, एवं भोजपुर।

पटना-15, दिनांक-.....

विषय :-

मुख्य शीर्ष 4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0101-भूमि अर्जन हेतु (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) माँग संख्या-40 विपत्र कोड-पी04047007890101 के अन्तर्गत 5302-भू-अर्जन हेतु वित्तीय वर्ष-2015-16 में 8,91,70,000/- (आठ करोड़ एकानवे लाख सत्तर हजार) रुपये मात्र राशि का आवंटन। (स्कीम कोड-REV-5528)

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञाप संख्या-904 (8)/रा0 दिनांक-21.07.2015 एवं पीत पत्र सं0-1059 (8) दिनांक-25.08.2015 द्वारा आवंटन हेतु प्रस्तावित राशि के आलोक में महादलित वासरहित परिवारों के लिए रैयती भूमि क्रय करने के लिए निम्नांकित जिलों को उनके नाम के सामने अंकित राशि कुल 8,91,70,000/- (आठ करोड़ एकानवे लाख सत्तर हजार) रुपये मात्र निम्न रूप से आवंटित की जाती है :-

क्र०	जिला	वर्तमान वर्ष में पूर्व में आवंटित राशि	अधियाचना संख्या	संबंधित शाखा द्वारा आवंटन हेतु प्रस्तावित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि (रुपये में)	कुल आवंटित राशि (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	बेगूसराय	शून्य	पत्रांक-1141 दि0-22.06.2015	1,00,00,000/-	1,00,00,000/-	1,00,00,000/-
2	पटना	शून्य	पत्रांक-2296 दि0-13.07.2015	1,00,00,000/-	1,00,00,000/-	1,00,00,000/-
3	कटिहार	शून्य	पत्रांक-767 दि0-03.07.2015	2,00,00,000/-	2,00,00,000/-	2,00,00,000/-
4	रोहतास	1,26,75,000/-	पत्रांक-1022 दि0-10.06.2015	1,00,00,000/-	1,00,00,000/-	2,26,75,000/-
5	सुपौल	शून्य	पत्रांक-1167-2 दि0-27.07.2015	53,40,000/-	53,40,000/-	53,40,000/-
6	बक्सर	3,50,00,000/-	पत्रांक-03-2276 दि0-29.07.2015	2,38,30,000/-	2,38,30,000/-	5,88,30,000/-
7	भोजपुर	शून्य	पत्रांक-1053 दि0-06.08.2015	1,00,00,000/-	1,00,00,000/-	1,00,00,000/-
कुल		47675000/-		8,91,70,000/-	8,91,70,000/-	136845000/-

(आठ करोड़ एकानवे लाख सत्तर हजार रुपये मात्र)

- राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में की जायेगी तथा निकासी की गई राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य हेतु ही किया जाएगा।

कृ०पृ०उ०

3. राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 वि० (2) दिनांक-17.04.1998 एवं पत्रांक-396/वि० दिनांक-24.04.2015 के आलोक में किया जा रहा है।
4. वर्ष 2014-15 अथवा पूर्व के लंबित दायित्वों का भुगतान वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजटीय उपबंध/आवंटन के संबंधित शीर्ष/विषयशीर्ष में प्रावधानित राशि से किया जा सकता है।
5. राशि की निकासी के समय विपत्र पर मांग संख्या, इकाई का कोड एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।
6. राशि का उपयोग एतद् विषयक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की संकल्प संख्या-153(8) दिनांक-09.02.2015 द्वारा निर्गत दिशा निदेश के अनुरूप किया जाएगा।
7. राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के सातवीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय साथ ही व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी भेजना सुनिश्चित किया जाए।
8. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(शशि भूषण तिवारी),
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-...../रा०, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(शशि भूषण तिवारी),
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-...../रा०, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, (बजट), बिहार, पटना/सम्बन्धित सभी कोषागार पदाधिकारी/विभागीय प्रशाखा-8/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(शशि भूषण तिवारी),
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-...../रा०, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- सम्बन्धित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(शशि भूषण तिवारी),
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-...../रा०, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शशि भूषण तिवारी),
सरकार के विशेष सचिव